कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

क्रमांक 623/61/मंत्री उशि/आउशि/अका.प्र/2011 भोपाल, दिनांक 28/7/2011

प्रति,

प्राचार्य समस्त,
शासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

विषयः– शैक्षणिक सत्र 2011–12 हेतु गुणवत्ता दृष्टिपत्र।

नवीन शिक्षण सत्र 2011–12 को गुणवत्ता वर्ष के रूप में मनाने तथा कार्य–योजना तैयार करने के निर्देश प्राप्त हुये हैं । प्रदेश के 332 शासकीय महाविद्यालयों में लगभग दो लाख बयालीस हजार विद्यार्थी अध्ययनरत हैं । इस संबंध में माननीय मंत्रीजी ने दिनांक 30–6–11 को एक परिपत्र सभी प्राचार्यो /प्राध्यापकगणों को भेजकर उनसे बहुत महत्वपूर्ण अपेक्षाएँ की हैं । अतः **'गुणवत्ता वर्ष'** मनाने के लिये एक **'दृष्टिपत्र'** तैयार किया गया है ।

2– इस दृष्टिपत्र का प्रारूप तैयार करने के पूर्व संचालनालय के विशेष–विशेषज्ञों से हुई चर्चा एवं निर्देशों के साथ ही प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों द्वारा अपनाये गये नवाचारों, को भी ध्यान में रखा गया है। इस पत्र में वर्तमान में महाविद्यालयों में गुणवत्ता स्थापित करने में बिना अतिरिक्त वित्तीय स्वीकृति के कई महत्वपूर्ण योजनाओं को शामिल किया गया है । दृष्टिपत्र में महाविद्यालयों को अपना स्वॉट (SWOT – स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपार्चुनिटि और थ्रेट, यानि ताकत, कमजोरियाँ, अवसर और खतरे) विश्लेषण करते हुए तथा जनभागीदारी समिति को विश्वास में लेते हुए आवश्यक सहयोग लेने को कहा गया है ताकि वैश्वीकरण के आज के माहौल में विद्यार्थियों को मानवीय संवेदनाओं से भरपूर गुणात्मक, नैतिकतापूर्ण और राष्ट्रीय भावना के साथ शिक्षा मिल सके । इसमें प्राचार्य की भूमिका को भी रेखांकित किया गया है।

3– कार्य–योजना में गुणवत्ता बढ़ाने हेतु दिशा–निर्देश हैं, जो संलग्न हैं । इसमें इस गुणवत्ता वर्ष को मनाने के लिये एक अभिनव **'एम्बेसेडर प्राध्यापक योजना'** को भी शामिल किया गया है । इसके अन्तर्गत जिन महाविद्यालयों में अध्यापको की कमी है या जिन अध्यापको की कक्षाओं में विद्यार्थियों की उपस्थिति किसी अन्य कारण से पूरी नहीं होती है

या जिसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव है, उसके लिए जिले में ही पदस्थ उत्साही विद्वान प्राध्यापकों में से जिला–स्तर पर चयन कर एक समूह बनाया जायेगा । यह समूह समस्त विषयों के विशेषज्ञों का होगा । योजना में चयनित प्राध्यापक जिले के सभी महाविद्यालयों में आवश्यकतानुसार विजिट करेंगे एवं अपने विषय से संबंधित शिक्षकों व विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करने के साथ ही अपने विषय को रूचिकर बनाने के तरीको से परिचित करायेगे तथा आवश्यकतानुसार उनका उन्मुखीकरण भी करेगें। इस योजना से प्रत्येक महाविद्यालय, विशेषकर प्राध्यापकों की कमी से जूझ रहे ग्रामीण और कस्बाई महाविद्यालयों में, विशेषज्ञ प्राध्यापकों की अंशकालीन पूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी, जो निश्चित ही उस महाविद्यालय में पदस्थ नियमित प्राध्यापकों/सहायक प्राध्यापकों, अतिथि विद्वानों और जनभागीदारी से नियुक्त अतिथि विद्वानों के साथ ही विद्यार्थियों के लिए अत्यंत प्रेरणास्पद और लाभदायक सिद्ध होंगी। इससे शहरी और कस्बाई क्षेत्रों में व्याप्त शिक्षा के स्तर में गुणात्मक अंतर को कम करने में भी मदद मिलेगी।

शेष निर्देशों का उल्लेख दृष्टिपत्र में किया गया है ।

(डॉ. व्ही. एस. निरंजन)
आयुक्त, 28/7
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक 633/61/मंत्री 3टरी/आउशि/अका.प्र/2011 भोपाल, दिनांक 28/7/2011

प्रतिलिपिः–

1– प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।

2– समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।

3– समस्त, कुल सचिव, विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।

(डॉ. व्ही. एस. निरंजन)
आयुक्त,
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश